झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
त्रयोदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.07.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर प्रखंडाधीन अटका पंचायत के दमौआ टोला में 7 जुलाई, 1998 को M.C.C. उग्रवादियों द्वारा 10 (दस) लोगों की नृशंस हत्या भरी पंचायत में कर दी गई थी। मृतकों में वहाँ के मुखिया भी थे। आजतक सरकारी प्रावधानानुसार आश्रितों/परिजनों को नौकरी नहीं मिला है। अतः उधृत घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों/परिजनों को सरकारी प्रावधानानुसार नौकरी दिये जाने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन
02-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	झारखण्ड के सरकारी +2 विद्यालयों में नियुक्ति हेतु स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के आधार पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित इतिहास, रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र के शिक्षकों को नव पदस्थापित स्कूल में ग्रेड-पे 4800/-रू0 में 47,200/-रू0 वेतन पर नियुक्त किया जा रहा है जबकि इन विषयों के लिए चयनित	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
		पूर्व से हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक का ग्रेड-पे 4600/-रू0 में आठ वर्षो की सेवा के बाद वर्त्तमान में 55,200/- रू0 वेतन प्राप्त कर रहे है। हाई स्कूल से +2 में उच्चतर ग्रेड-पे एवं बढे हुए दायित्व के बावजूद हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक +2 में योगदान नहीं दे पा रहे है क्योंकि उन्हें वर्त्तमान में पा रहे वेतन से कम वेतन प्राप्त होगा। सेवा के सामान्य शर्त्तो के तहत् सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी को उच्चतर दायित्व एवं ग्रेड-पे में नियुक्ति के पश्चात् उन्हें वर्त्तमान में पा रहे वेतन से कम वेतन देकर अलाभकारी स्थिति में नहीं रखा जा सकता है। अतः मैं हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक को +2 स्कूल में नियुक्ति के पश्चात् नियम संगत तरीके से पा रहे वेतन के समतुल्य या अलग सोपान पर वेतन निर्धारण करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	आई0 पी0 सी0 धारा 353 जो सरकारी कार्यो में बाधा डालने से संबंधित है एवं गैर जमानती धारा है, के वर्त्तमान स्वरूप भारत के संविधान में परिभाषित मौलिक अधिकारो का हनन है। सरकार के गलत कार्यो का लोकतांत्रिक तरीका से विरोध करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। परन्तु विरोधियों को दबाने के लिए इसका प्रयोग प्रशासनिक पदाधिकारियों पर दबाव डालकर इस धारा का दुरूपयोग हो रहा है। विगत कई वर्षो से इन धारा के तहत् राज्य सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम किया है, इसका अनेको उदाहरण है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि जनता की मौलिक अधिकारों तथा लोकतंत्र की मजबूती के लिए झारखण्ड में जल्द से जल्द आई0पी0सी0 धारा 353 जो कि एक गैर जमानती धारा के रूप में है उसको बदलकर जमानती धारा के रूप में लागू किया जाय।	विधि

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
04-	श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0,	ज्ञातव्य है कि धनबाद जिलान्तर्गत राज्य के गैर सरकारी (सहायता प्राप्त) आठ अल्पसंख्यक मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन निदेशालय स्तर से विगत लगभग पाँच वर्षो से नहीं हो पाया है, जिससे इन विद्यालयों में पठन-पाठन कार्यो का निष्पादन स्टीक रूप से नहीं हो पा रहा हैं। जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद द्वारा दिनांक- 16.12.2017 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड राँची को उनके पत्रांक- 8/ अ-3 -31/2015 1656, दिनांक- 30.11.2017 के आलोक में विद्यालयवार आरक्षण रोस्टर के अनुपालन होने की घोषणा की गई थी, परन्तु आज दिनांक- 16.07.2018 तक भी इन विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति का अनुमोदन नहीं हो पाया है। इसके साथ ही धनबाद जिले के गैर सरकारी (सहायता प्राप्त) अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों में भी नियुक्त शिक्षकों का अनुमोदन निदेशालय स्तर पर लंबित है। अतः मैं राज्य के गैर सरकारी (सहायता प्राप्त) धनबाद जिला के इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निदेशालय स्तर पर लंबित अनुमोदन सम्बन्धी विषयों के औचित्य पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
05-	श्रीमती विमला प्रधान, श्री राधाकृष्ण किशोर एवं श्री रामकुमार पाहन स0वि0स0	ज्ञातव्य है कि झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में गैर जनजातीय पुरूषों के द्वारा जनजातीय महिलाओं से विवाह करने के अधिक मामले आ रहे है। इसके साथ यह भी घटना प्रकाश में आ रहा है कि गैर जनजातीय पुरूषों के द्वारा जनजातीय महिला से विवाह करने के उपरांत उसके चल-अचल सम्पत्ति को अपने नाम से हस्तांतरित कराकर वैवाहिक संबंध खत्म कर लिया जा रहा है। स्पष्ट है कि गैर जनजातीय पुरूषों के द्वारा जनजातीय महिला से विवाह करने का उदेश्य जनजातीय महिला का अचल सम्पत्ति अपने नाम से हस्तांतरित-	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा

01.	02.	03.	04.
		कराने का होता है। गैर जनजातीय पुरूषों के द्वारा उक्त प्रकार के उदेश्यात्मक विवाह के उपरांत चल-अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए सरकार का ध्यान-आकृष्ट कराना चाहते हैं।	

राँची,
दिनांक- 18 जुलाई, 2018 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-43/2018-3285/वि0 स0, राँची, दिनांक-17/07/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ विधि विभाग एवं महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-43/2018-3285/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/07/18,

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

17/07/18